

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/विविध 1-30/2025

पटना, दिनांक :-

श्रीमती अनीता सिंह, पति-स्व० (डा०) नन्द किशोर सिंह, सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापक, धारक पी०पी०ओ० सख्या-436194 के पक्ष में बिहार कोषागार संहिता के नियम-239 के तहत Undrawn Period दिनांक-01.12.2019 से 26.04.2022 तक की अवधि में देय पारिवारिक पेंशन (14,23,322/- रुपये) की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/विविध 1-30/2025-639/17)

पटना, दिनांक :- 12.06.25

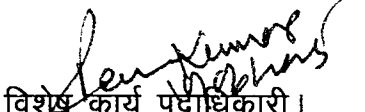
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्रीमती अनीता सिंह, पति-स्व० (डा०) नन्द किशोर सिंह, सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापक, पत्राचार का पता-101, Trillium Apartment, Magarpatta City, Hadapsar Pune, Pin Code-411028 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।